दावा अन्तर्गत धारा 88–53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 16/03/26

वाद पत्र में श्री हनुमान भादू वादीगण श्री सुनील सहू प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 8 ता 10, 12 ता 17, 22 ता 32 राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वाद वादीगण स्वीकार कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88–53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है रकम राज निम्नानुसार अलग कायम की जावे :–

क. वादीगण को प्राप्त भूमिः–38 एन डी आर टीपी के खाता सं. 2/29 के प.न. 85/347 के मु.न. 28 के किला न. 11/0.1265, किला न. 20 की चिपती हुई पूर्व से पश्चिम किला न. 12/0.1265, किला न. 19 के चिपती हुई पूर्व से पश्चिम किला न. 13/0.1265, किला न. 18 के चिपती हुई पूर्व से पश्चिम, किला न. 18, 19, 20 सालम व प.न. 84/347 के मु.न. 27 के किला न. 15/0.082, किला न0 16 के चिपती हुई, 16/0.1265 किला न. 16 मे पूर्व दिशा मे उतर से दक्षिण, किला न. 25/0.11385 जो

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

कि किला न० 25 मे पूर्व दिशा मे उत्तर से दक्षिण, कुल 1.461 हैक. नहरी कृषि भूमि मे वादी संख्या 1 संदीप कुमार को 0.9385 है. व वादी संख्या 2 प्रदीप कुमार को 0.5225 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ओर वादी संख्या 2 प्रदीप कुमार की शेष .416 है. भूमि में से प्रदीप कुमार का नाम कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 15 कुलदीप को .416 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ख. प्रतिवादी संख्या 23 सुमन को प्राप्त भूमिः—चक 38 एन. डी. आर टी. पी. खाता स. 2/29 के पं. 82/347 (25) के किला न. 18/2/0.127, 19/0.1055 किला न. 12 के चिपती हुई पुर्व से पश्चिम, 20/2/0.228, 21/2/0.228, 22, 23, 24/0.0705 जो किला न. 23 कि चिपती हुई उत्तर से दक्षिण कि कुल कृषि भूमि 1.265 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ग. प्रतिवादी संख्या 3, 8, 14, 22, 24,25 26 ता 29, 30,31,32 को प्राप्त भूमिः—तहसील पीलीबंगा के चक 38 एन. डी. आर टी. पी. खाता स. 2/29 के पं. 82/348 (34) के किला न. 1 ता 15 कुल 3.2510 हैक. कमाण्ड और पं. न. 82/347(25) के किला न. 16, 17/1/0.1090, 24/0.1825 जो कि किला न. 25 के चिपती हुई उत्तर से दक्षिण, किला न. 25, कुल 0.7975 हैक. कमाण्ड इस प्रकार दोनो पत्थरों कि कुल 4.048 हैक. कमाण्ड कृषि भूमि जिसमे प्रतिवादी सं. 3 (अजीत भादू) को 0.4005 हैक. व प्रतिवादी सं. 8 (संजय भादू) को 0.4005 हैक. व प्रवितादी स. 14 (रूकमा देवी) को 0.822 हैक. व प्रतिवादी सं. 22 (सुभाष चन्द) को 0.8015 हैक. व प्रतिवादी सं 24 (कृष्णा देवी) को 0.2743 हैक. व प्रतिवादी स. 25 (अरविंद) को 0.2743 हैक. व प्रतिवादी सं. 26, 27, 28, 29 (सगीका चौधरी , चारवी, धनांषी भादू , भवनिका) को 0.2743 हैक. ब हिस्सा बराबर व प्रतिवादी सं. 30, 31 32 (इंद्रा, सतीश, विनय) को 0.8015 हैक. में बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा